[2021] 6 एस. सी. आर 767

जोस एंटोनियो ज़लबा डीज़ डेल कोरल एलियास जोस

एंटोनियो ज़ाल्बा

वी.

पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य।

(2020 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 318)

28 जुलाई, 2021

[वाइन सरन और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 32 – नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका-रखरखाव-याचिकाकर्ता ने

विवाहित उत्तरदाता सं। 6 और उनके दो नाबालिग बच्चे हैं याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाद नं। 6 – स्पेन के एक नागरिक, याचिकाकर्ता द्वारा दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जो प्रतिवादी संख्या के साथ रह रहे थे। 6 भारत में-प्रतिवादी सं. द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति। 6 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्थिरता के संबंध में, विशेष रूप से जब संरक्षक और वार्डों के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक याचिका

बच्चों की अभिरक्षा के लिए अधिनियम निचली अदालत के समक्ष लंबित था-आयोजितः वर्तमान मामले में, स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी नं। 6 (माँ) के पास दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा थी, जिसके लिए याचिकाकर्ता (पिता) ने पहले ही एक याचिका दायर कर दी थी। 12 अभिभावक और वार्ड अधिनियम, जो विचाराधीन है; और माता के साथ बच्चों की अभिरक्षा, जो एक प्राकृतिक अभिभावक है, को अवैध नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका

यह बनाए रखने योग्य नहीं होगा और वह भी सीधे संविधान के यू/Art.32 के तहत-अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय उपयुक्त उपाय है, जिसका याचिकाकर्ता पहले ही लाभ उठा चुका है-कोई असाधारण या असाधारण उपाय नहीं हैं।

वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। 32 संविधान का प्रावधान-याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ही लिया गया उपाय उचित और प्रभावी है। जहाँ बच्चों के कल्याण और कल्याण के संबंध में यहाँ उठाए गए सभी प्रश्नों पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है-अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 - एस. 12-परिवार कानून-बाल अभिरक्षा।

यशिता साहू बनाम। राजस्थान राज्य (2020) 3 एस. सी. सी. 67:

[2020] 1 एससीआर 417-प्रतिष्ठित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तेजस्विनी गौड़ बनाम। शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी (2019) 7 एससीसी 42: [2019] 7 एससीआर 335 और सौमित्र कुमार नाहर बनाम। पारुल नाहर (2020) 7 एस. सी. सी. 599- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2020) 7 एस. सी. सी. 599

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2020] 1 एससीआर 417

प्रतिष्ठित

पैरा 6

[2019] 7 एससीआर 335

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका

(आपराधिक) 2020 की सं. 318

पी. एस. नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। (एसी) याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , सौमित्र जी. चौधरी, सुश्री पूजा कुमारी

शॉ, चंचलकुमार गंगुली, कुमार मिहिर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।

याचिकाकर्ता (पिता) द्वारा अपने दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए भारत का संविधान।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने शादी की थी

प्रतिवादी संख्या 6 और उनका लगभग 15 वर्ष का एक बेटा और लगभग 10 वर्ष की एक बेटी है। याचिकाकर्ता स्पेन का नागरिक है। याचिकाकर्ता (पति) और प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी के बीच कुछ विवाद होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी ने याचिकाकर्ता को दो नाबालिग बच्चों के साथ छोड़ दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 10वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर, कोलकाता के समक्ष दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 12 के तहत मामला दायर किया, जिसे कोलकाता के मामले संख्या संख्या 88 के रूप में गिना जाता है।

2017. अभिरक्षा के लिए उक्त मामला अभी भी उक्त अदालत के समक्ष लंबित है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो भी लंबित है।

उक्त मामले में, कुछ रखरखाव ई एंटोनियो ज़लबा डीज़ डेल कोरल एलियास जोस एंटोनियो ज़लबा बनाम। पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य।

प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी के पक्ष में इंट दिया गया था, जो था

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया और इसे कम कर दिया गया है। द.

इस याचिका में कोई मुद्दा नहीं है।

3. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में,

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ यह रिट याचिका दायर की हैः

" (i) प्रतिवादी Nos.2 को निर्देश और आदेश जारी करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करें,

3 , 4 और 5 सिद्धार्थ अप जल्बा महापात्रा का निर्माण करने के लिए और

उनके अधिकारों और उनके सर्वोत्तम हित की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रत्यर्थी की अभिरक्षा सं। 6
.

((ii) उत्तरदाता संख्या 2,3,4 और 5 को आदेश देने के लिए एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करें।

उक्त सिद्धार्थ औपा जल्बा महापात्रा की अभिरक्षा पर और इकांतिका मार्गरीटा जल्बा महापात्रा परिणाम के अधीन

उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर के समक्ष लंबित 2017 के अधिनियम VIII का मामला No.88 बच्चों को कोलकाता, भारत से स्पेन स्थानांतरित करके उनके अधिकारों का,

बच्चों के लिए उपलब्ध सबसे सुरक्षित विकल्प;

(iii) उत्तरदाताओं को वर्तमान में 2017 के अधिनियम VIII मामले No.88 के संबंध में मामले के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करें। इस माननीय न्यायालय के समक्ष विद्वान 10 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर के समक्ष लंबित है ताकि सहमति योग्य न्याय हो सके

उसी की जांच के बाद प्रशासित किया जाता है।

((iv) संबंधित उत्तरदाताओं को निर्देश देने वाला अंतरिम आदेश और

लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए पुलिस सहायता प्रदान करना।

याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बच्चे नं। 6 , अर्थात्, सिद्धार्थ औपा जल्बा महापात्रा और इकांतिका मार्गरीटा जल्बा

महापात्रा।

(v) बच्चों को कोलकाता, भारत से स्पेन ले जाने और याचिकाकर्ता सहित उनके पैतृक परिवार की देखभाल और संरक्षण में रहने और उनके पैतृक परिवार में रहने का निर्देश देने वाला अंतरिम आदेश। स्पेन में घर। "

4. हमने याचिकाकर्ता को सुना है, जो व्यक्तिगत रूप से श्री सिद्धार्थ लूथरा के रूप में पेश हुए हैं, जो उनकी ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं।

स्पॉन्डेंट्स नं। 1 श्री चंचल कुमार गांगुली और [2021] 6 एस. सी. आर. के साथ 5 तक।

5. यह तथ्य कि अधिनियम की धारा 12 के तहत बच्चों की अभिरक्षा के लिए याचिका लंबित है, विवादित नहीं है। प्रार्थनाओं के अवलोकन से उक्त मामले की विचाराधीनता भी स्पष्ट होगी। इस याचिका में किए गए, जो ऊपर निकाले गए हैं। प्रतिवादी नं. 1 के विद्वान वकील श्री अनुज प्रकाश द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है। 6 इस याचिका की स्थिरता के संबंध में, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता द्वारा बच्चों की अभिरक्षा के लिए अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत दायर याचिका निचली अदालत के समक्ष लंबित है।

6. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह याचिका नाबालिग बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके सर्वोत्तम हित में दायर की गई है। यह है।

अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत बच्चों की अभिरक्षा के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है लेकिन दी गई परिस्थितियों में, प्रतिवादी नं। 6 / इस न्यायालय द्वारा पत्नी को बच्चों की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया जाए।

7. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया है कि

तथ्य यह है कि बच्चों की अभिरक्षा के लिए याचिका विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका विचारणीय नहीं होगी। इसके समर्थन में, उन्होंने इस पर भरोसा रखा तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश जोस एंटोनिओ ज़लबा डीज़ डेल कोरल एलियास जोस एंटोनिओ ज़लबा बनाम में इस न्यायालय के दो निर्णय।

पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य।

राजस्थान "(2020) 3 एस. सी. सी. 67. यह आगे तर्क दिया जाता है कि राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में महामारी की स्थिति अच्छी तरह से नियंत्रण में है और यह यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चे कोलकाता में मां के साथ सुरक्षित नहीं होंगे।

8. श्री पी. एस. नरसिम्हा, विद्वान न्यायमित्र ने बहुत निष्पक्षता से कहा है

इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की रखरखाव क्षमता, विशेष रूप से जब बच्चों की अभिरक्षा माँ के पास हो, जो एक प्राकृतिक अभिभावक हो। यह तर्क दिया जाता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रदत्त रखरखाव राशि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी को भुगतान नहीं किया गया है, जो विद्वान वकील के अनुसार, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी या बच्चों की भलाई के लिए कोई चिंता नहीं है। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को बच्चों की अभिरक्षा दी जाती है और वह बच्चों को स्पेन ले जाता है, तो वे परीक्षण न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे, जहां अधिनियम के प्रावधानों के तहत बच्चों की अभिरक्षा के लिए याचिका लंबित है। बच्चों की सुरक्षा के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 6/पत्नी, बच्चों के साथ कोलकाता में रह रहे हैं, और मार्च 2020 से, महामारी की दो लहरें (कोविड-19) पहले ही बीत चुकी हैं, और प्रतिवादी संख्या। 6 / पत्नी और दो नाबालिग बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 10. याचिकाकर्ता के साथ-साथ पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख के अवलोकन पर, गुण-दोष में जाने से पहले

याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला प्रारंभिक प्रश्न इस याचिका की विचारणीयता के संबंध में होगा।

11. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि माता-पिता दोनों को अपने बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार हो सकता है, लेकिन अभिरक्षा का उक्त प्रश्न होना चाहिए - पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है, और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, जो अभिभावक और वार्ड अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगा; और याचिकाकर्ता पहले ही उक्त अधिनियम के तहत एक याचिका दायर कर चुका है, जो मामला कोलकाता में ट्रायल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

12. यशिता साहू (ऊपर) में निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग है। उक्त मामला एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें दोनों माता-पिता, [2021] 6 एस. सी. आर. के साथ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बच्चे, संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे और चूंकि पति और पत्नी के बीच विवाद थे, और पत्नी ने बच्चों को ले लिया था और अलग रहने लगी थी, इसलिए पिता ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालत के समक्ष बच्चों की अभिरक्षा के लिए याचिका दायर की, जिसने पत्नी को बच्चों को पेश करने का निर्देश दिया और इसके बजाय पत्नी बच्चों को संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ले गई। यह ऐसी परिस्थितियों में था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, उच्च न्यायालय ने पत्नी को छह सप्ताह के भीतर नाबालिग बेटी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने का निर्देश दिया ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अदालत पहले से लंबित कार्यवाही में आगे के आदेश पारित कर सके। यह उपरोक्त तथ्यों में था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट याचिका को बनाए रखने योग्य माना गया था। तेजस्विनी गौड़ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 19 और 20 में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की रखरखाव के संबंध में कानून को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है, जो नीचे दिए गए हैं:

" 19. बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही अभिरक्षा की वैधता को उचित ठहराने या जांच करने के लिए नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे की अभिरक्षा को अदालत के विवेक के अनुसार संबोधित किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है जो एक

रिट देने में न्यायालय केवल उन मामलों में योग्य है जहां किसी नाबालिग को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हिरासत में लिया जाता है जो अपनी कानूनी हिरासत का हकदार नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत मुद्दे पर दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, बाल अभिरक्षा मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बनाए रखने योग्य है जहां वह है। यह साबित किया कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया जाना

अवैध था और कानून के किसी भी अधिकार के बिना था।

20. बाल अभिरक्षा मामलों में, सामान्य उपाय केवल हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम या अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत निहित है, जैसा भी मामला हो। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों में, अदालत का अधिकार क्षेत्र इस बात से निर्धारित होता है कि क्या नाबालिग सामान्य रूप से उस क्षेत्र के भीतर रहता है जिस पर अदालत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करती है। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत जांच और एक रिट द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं।

न्यायालय जो संक्षिप्त प्रकृति का हो। जो महत्वपूर्ण है वह है बच्चे का कल्याण।

रिट अदालत में, अधिकारों का निर्धारण केवल जोस एंटोनियो ज़लबा डीज़ डेल कोरल एलियास जोस एंटोनियो ज़लबा बनाम द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल और ओआरएस का राज्य।

नाबालिग की अभिरक्षा के लिए अभ्यास में निर्धारित किया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका पर असाधारण अधिकार क्षेत्र। 99 '

जोर दिया गया

13. वर्तमान मामले में, स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि माँ

दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा है, जिसके लिए याचिकाकर्ता (पिता) ने पहले ही अधिनियम की धारा 12 के तहत एक याचिका दायर की है, जो विचाराधीन है; और मां के साथ बच्चों की अभिरक्षा, जो एक प्राकृतिक अभिभावक है, को अवैध नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी और वह भी सीधे तौर पर इसके तहत।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 32। ऐसा कहते हुए, हम नहीं जा रहे हैं

इस प्रश्न पर कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही में निचली अदालत द्वारा निर्देशित भरण-पोषण राशि का भुगतान किया गया है या नहीं। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय उपयुक्त उपाय है, जिसका याचिकाकर्ता पहले ही लाभ उठा चुका है। वर्तमान मामले में ऐसी कोई असाधारण या असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं जिनमें इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता हो। याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ही लिया गया उपाय एक उचित और प्रभावी उपाय है, जहां बच्चों के कल्याण और कल्याण के संबंध में यहां उठाए गए सभी प्रश्नों पर साक्ष्य की सराहना के बाद कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है, जिसका नेतृत्व पक्षकार कर सकते हैं।

14. तदनुसार, हम इस रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करते हैं कि

रखरखाव। हालाँकि, हम 10 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर, कोलकाता से अनुरोध करते हैं कि वे 2017 के लंबित मामले संख्या 88 की सुनवाई और निर्णय जल्द से जल्द करें, और कानून के अनुसार, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने के छह महीने के भीतर, लंबित मामले के शीघ्र निपटारे के लिए एक आवेदन के साथ।

15. विदा लेने से पहले, हम सक्षम सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं

श्री पी. एस. नरसिम्हा द्वारा प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। बिभूति भूषण बोस

लिखित याचिका खारिज की गई।